भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office, Chandigarh

सत्यमेव जयते

Nature Protects if She is Protected

मिसिल संख्या -: 9-IIRC055-2015-CHA दिनांक: 23-09-2021

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ - 160001 (fcforest@hry.nic.in)

विषयः- **Diversion of 5.17 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. 3, PWD B&R Br. Rohtak for widening of 2 lane with paved shoulder of NH 709 (Extn.) from km 123.520 to 146.500, under forest division and District Bhiwani, Haryana (Online proposal FP/HR/Road/7808/2014)**

संदर्भ (i) प्रधान मुख्य वन संरक्षण, हरियाणा के पत्र क्रमांक 3085-व-5-2015/13576 दिनांक 22.07.2015.
(ii) नोडल अधिकारी, पंजाब सरकार के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-6118/5974 दिनांक 12.01.2016 और पत्र दिनांक 12.08.2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव में इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र संख्या दिनांक **28.09.2015** द्वारा सैधांनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना नोडल आफिसर एवं वन सरक्षक के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-6118/5974 दिनांक 12.01.2016 और पत्र दिनांक 12.08.2021 द्वारा प्राप्त होने के उपरांत केंद्र सरकार उपर्युक्त विषय हेतू **5.17** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान करती है।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी |

ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़ काटे जाएगें और काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या **1326** से अधिक नहीं होगी|

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Loharu Disty. from 0-19 L&R/side**, में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त **54,49,180/-** रूपये **(Rupees fifty four lakh forty nine thousand one hundred & eighty only)** की राशि राशि से **10,340** पौधें लगाकर किया जायेगा |

iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए |

v. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी |

vi. **The Divisional Forest Officer shall ENSURE that the approved CA site(s) will not be changed without the approval of competent authority.**

vii. **The CEO, State CAMPA Authority shall ENSURE that the funds under State CAMPA will be released to Divisional Forest Officer as per approved CA scheme.**

viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

ix. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

x. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

बेज नं. 24-25, सैक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in

xii. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xiii. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा

xiv. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |

xv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि संरक्षण के लिए वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी|

xvi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |

xvii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xviii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xix. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xx. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी

.3 मत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। *राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।*

भवदीय,

(सी० डी० सिंह) 23/09/2021
क्षेत्रीय अधिकारी
IRO, MoEF&CC

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ,मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana (haryanacampa@gmail.com)
5. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Bhiwani, Haryana (dfo.bhw-hry@nic.in)
6. Sub Division Engineer NH Sub Division PWD, B&R Branch, Loharu (pwdeepd3nhrtk@gmail.com)